मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 1-11/2010/नियम/चार — भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर, 2010

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन
मंत्रालय, भोपाल।

विषय - शासकीय देयकों के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में ।

--***--

वर्तमान में आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत देयकों के विरूद्ध कोषालयों द्वारा सामान्यतः आहरण संवितरण अधिकारियों के नाम पर ही चैक जारी किये जाते हैं । आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा चैक के साथ जिन कर्मचारियों/अधिकारियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को भुगतान किया जाना है उनकी सूची संलग्न कर बैंक को भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जाती है । सूची के आधार पर बैंक द्वारा संबंधित व्यक्ति के खाते में राशि जमा कराई जाती है अथवा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जारी किये जाते हैं ।

2/ कुछ प्रकरणों में यह आशंका व्यक्त की गई है कि कोषालय चैक के आधार पर एक संस्था के नाम ड्राफ्ट बनाये जाने के बाद उसे निरस्त कर दूसरी संस्था/व्यक्ति के नाम पर बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक बना दिये जायें अथवा नगद भुगतान कर दिया जाये ।

3/ अतः उक्त स्थिति को देखते हुये रूपये 1000/- से अधिक के भुगतानों के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(क) आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा यह प्रयास किया जाये कि सभी प्रकरण ई-भुगतान पद्धति से हों इसके लिए प्रत्येक देयक के साथ प्राप्तकर्ता व्यक्ति/संस्था, जिसे भुगतान किया जाना है, के बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा नाम/पदनाम, खाता क्रमांक, बैंक का नाम/स्थान, आई.एफ.एस. कोड क्रमांक आदि संलग्न करना आवश्यक होगा । इस जानकारी के आधार पर कोषालयों द्वारा राशि का भुगतान ई-भुगतान पद्धति के माध्यम से किया जाये । यदि किन्ही कारणों से ई-भुगतान संभव न हो तो प्राप्तकर्ता के नाम एकाउंट पेई चैक कोषालय द्वारा जारी किये जायेगें ।

(ख) यदि ई-भुगतान किया जाना अथवा एकाउन्ट पेई कोषालय चैक जारी करना संभव नहीं है अथवा नगद भुगतान किया जाना आवश्यक हो तब आहरण संवितरण अधिकारी स्वयं के पदनाम से चैक जारी करने का अनुरोध कोषालय से करते हुये देयक के साथ यह प्रमाण पत्र लगायेगा कि जिस व्यक्ति अथवा संस्था को भुगतान किया जाना है, उसको ई-भुगतान अथवा एकाउंट पेई चैक जारी करना संभव नहीं है । ऐसे प्रकरणों में आहरण अधिकारी द्वारा देयक के साथ प्राप्तकर्ता व्यक्ति / संस्था का नाम एवं राशि की सूची कोषालय अधिकारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत की जावेगी । कोषालय अधिकारी इस सूची की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर चैक क्रमांक अंकित करते हुए आहरण अधिकारी को वापस करेगें तथा दूसरी प्रति कोषालय में रखेगें ।

(ग) एफ.डी.डी.एफ./डब्ल्यू.डी.डी.एफ के अंतर्गत निर्माण विभागों एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले भुगतानों के संबंध में भी उपरोक्तानुसार प्रक्रिया लागू होगी ।

4/ कृपया अपने अधीनस्थ समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को उक्त कार्यवाही के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ1-11 /2010/नियम/चार
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर, 2010

प्रतिलिपि,

1. समस्त विभागाध्यक्ष मध्यप्रदेश
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
3. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, मध्यप्रदेश
4. क्षेत्रीय प्रबंधक/उप महाप्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इंडिया/स्टैट बैंक आफ इंदौर/भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. समस्त कलेक्टर (मध्यप्रदेश)
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश
7. समस्त कोषालय अधिकारी (मध्यप्रदेश) की ओर पालनार्थ ।

(अजय चौबे)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रपत्र-1 (कंडिका-3 (क) के संदर्भ में)

ई- भुगतान पद्धति से भुगतान की जाने वाली संस्थाओं की जानकारी

स.क्रं.	व्यक्ति/संस्था का नाम जिसे भुगतान किया जाना है	बैंक एवं शाखा का नाम	आई.एफ.एस. कोड क्रमांक	खाता क्रमांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
आहरण एवं संवितरण अधिकारी

प्रमाण-पत्र-1 (कंडिका-3 (ख) के संदर्भ में)

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नांकित ई-भुगतान अथवा एकाउन्ट पेयी चैक से भुगतान संभव नहीं है । अतः कृपया आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पदनाम से चैक जारी करने का कष्ट करें :-

स.क्रं.	प्राप्तकर्ता व्यक्ति/ संस्था का नाम	राशि	रिमार्क
1	2	3	4

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
आहरण एवं संवितरण अधिकारी

उपर्युक्त अनुरोध के आधार पर निम्नांकित चैक जारी किया जा रहा है :-

<u>चैक क्रमांक</u> <u>दिनांक</u> <u>राशि</u>

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
कोषालय अधिकारी

नोटः- कृपया दो प्रतियों में कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करें ।